

[Shri Eduards Faleiro]

exchange with South Africa between April and December, 1981, and out of this number, more than 100 countries are from Britain and over '80 from the United States, which have been described in that Register as the main collaborators of apartheid.' India can have no deal with any country that ignores the suppression of basic human rights. Much less so in the case of South Africa where people of Indian descent still suffer may indignities.

I, therefore, urge the Government of India and the sports organisations in this country to black-list all those involved in collaboration exchanges with South Africa and to reconsider its decision to send a cricket team to Britain in case any of the players now touring South Africa is to play in the British team.

(vii) APPOINTMENT OF A PROBE COMMITTEE TO LOOK INTO THE WORKING OF ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, PARTICULARLY THE CARDIOLOGY DEPARTMENT.

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस) नई दिल्ली के हृदय शल्य विभाग को जितना ही देश में अच्छा नाम था, उतना ही वह विभाग बदनाम हो रहा है। गरीब एवं गंभीर दिल के रोगी की मृत्यु बेमौत हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार उस संस्थान के वरिष्ठ सर्जन हैं। एक सर्जन, जो प्रोफेसर और हृदय शल्य विभाग के प्रधान भी हैं, को आंख की बीमारी है, जिन्हें कम दिखाई पड़ता है। फिर भी सरकार द्वारा उनके सेवा-अवधि में वृद्धि की गई है। उसी विभाग के

एक दूसरे प्रोफेसर और सर्जन को मिरगी की बीमारी है। कई बार आपरेशन के समय ही वे मूर्च्छित हो चुके हैं। इस विभाग के बड़े डाक्टर चुने हुए मरीजों को ही कार्यालय में बुलाकर देखते हैं। आम रोगी के साथ इनका व्यवहार क्रूर होता है। अच्छे डाक्टर के प्रमाण पत्र पाने के लोभ में वैसे ही चुने हुए मरीजों का आपरेशन किया जाता है, जो आसान किस्म के हैं।

गरीब और गंभीर बीमारी वाले मरीजों को या तो डांट-डपटकर भगा दिया जाता है या आपरेशन की तिथि इतनी लम्बी दी जाती है कि उसी अवधि में उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत से गंभीर एवं गरीब मरीजों से आपरेशन हेतु हजारों रुपए जमा करा लिए जाते हैं, उनसे काफी मात्रा में खून भी ले लिया जाता है, आपरेशन की तिथि भी निश्चित कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपरेशन नहीं किया जाता। फलस्वरूप बहुत से रोगियों की मृत्यु आपरेशन के पहले ही हो जाती है।

अभी कुछ ही समय पहले ग्राम मोकामा के श्री नाथी पासवान, पिता श्री राम खिलावन पासवान, जिला पटना (बिहार) मेरे पास आया था। वह हृदय रोग का रोगी था। मैंने उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली भेज दिया। वह एक 25 साल का गरीब हरिजन नौजवान था। उस से 18 हजार रुपये आपरेशन हेतु जमा करवा लिए गए। कई बार उस के आपरेशन की तिथि निश्चित की गई। उस से पर्याप्त मात्रा में खून भी ले लिया गया। पुनः 15

जनवरी, 1982 को आपरेशन के लिए उसे बुलाया गया। लेकिन पुनः आपरेशन नहीं किया गया। आज से करीब 20 दिन पहले वह युवक उक्त इंस्टीट्यूट गया। वहां उसने डाक्टर से अपनी बीमारी की गम्भीर स्थिति के बारे में बताना चाहा। लेकिन डाक्टर ने उसे डांट कर भगा दिया। उसके बाद वह टैक्सी से मेरे पास आया। उस की हालत बहुत खराब थी। मैंने आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंस के डाक्टरों से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन किसी से हृदय शल्य विभाग में सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका।

उस के बाद मैंने डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में फोन किया। वहां उपस्थित डाक्टर से मैंने मरीज की गम्भीरता के संबंध में कहा और आग्रह किया कि तुरन्त एक एम्बुलेंस भेज दें। थोड़ी देर में वहां एम्बुलेंस आया और मैंने दो आदमी साथ ले कर मरीज को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भेज दिया।

तत्पश्चात् मैंने स्वास्थ्य मंत्री से टेलीफोन पर सम्पर्क किया। उन से बातें हुई। उन से मैंने आल इंडिया मैडिकल इंस्टीट्यूट में हो रही धांधली और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में बताया। स्वास्थ्य मंत्री ने मुझ से कहा कि रोगी के संबंध में तथ्य मुझ को भेज दें, लेकिन आधा घंटा के बाद खबर आया कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही उस गरीब नौजवान की हरिजन की मृत्यु हो गई।

इस प्रकार से एक नहीं, दर्जनों उदाहरण हैं। प्रति माह इस तरह के दर्जनों रोगी मौत के शिकार होते हैं। गांवों के लोगों की तो मानो इंस्टीट्यूट के डाक्टर परवाह नहीं करते।

कुछ बड़े डाक्टरों का वहां एक गिरोह बना हुआ है। जो दूसरे अच्छे डाक्टरों को वहां ठहरने ही नहीं देते। मलेशिया के एक डाक्टर जो हृदय शल्य विभाग में अध्ययन करने के लिए आए थे, उन को इतना तंग किया गया कि उन को विभाग छोड़ना पड़ा। उन्होंने संस्थान के डाक्टरों के क्रूर व्यवहार के संबंध में भारत सरकार, आल इंडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक और मलेशिया सरकार को भी 1979-80 में लिखा था, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः सरकार से मांग है कि सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंस) के हो रहे उपरोक्त धांधली के संबंध में एक जांच कमेटी बैठाये और अखिलम्ब वहां की बिगड़ती दशा में सुधार हेतु कदम उठावे, वरना एक दिन संस्थान काल कोठरी बन कर रह जाएगा।

(viii) EXEMPTION OF HYDRO-ELECTRIC PROJECTS INCLUDING TRANSMISSION LINES FROM THE PURVIEW OF FOREST CONSERVATION ACT.

SHRI K.A. RAJAN (Trichur): Sir, the recent Forest Conservation Act 1980 of the Government of India stands as a big hurdle in the way of implementation of the ongoing Hydro-electric Projects in the State and also in getting sanction for new schemes from the Planning Commission and the Government of India.

All the hydro-electric projects in the State are located in the hills with thick vegetations. As per the Forest Act 1980, prior sanction of the Government of India is required for any forest clearance required in respect of schemes even under execution, sanctioned schemes including survey and investigation works necessary for new schemes.